

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४५१

30 ज्येष्ठ, 1933 शकाब्द

राँची, सोमवार 20 जून, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 जून, 2011

संख्या एल०जी०—13/2011—74/लेज०,—झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश, जिस पर राज्यपाल दिनांक 14 जून, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

[झारखण्ड अध्यादेश संख्या ०४, २०११] .

झारखण्ड होटल विलास–वस्तु कराधान अध्यादेश, 2011

झारखण्ड राज्य में होटलों में विलास—वस्तु पर कराधान हेतु अध्यादेश। प्रस्तावना — चूंकि, झारखण्ड राज्य विधान मंडल सन्न में नहीं है, और चूंकि, झारखप्ड राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण झारखण्ड होटल वस्तु कराधान

1

अध्यादेश 2011 का प्रख्यापन के लिए तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) यह अध्यादेश झारखण्ड होटल विलास–वस्तु कराधान अध्यादेश, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

- (3) यह राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएँ इस अध्यादेश में, जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो—
 - (क) ''सहायक आयुक्त'' से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'
 - (ख) ''प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है कि इस अध्यादेश के अधीन बनायी गयी नियमावली में परिभाषित प्राधिकारी।
 - (ग) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत हैं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य—कर आयुक्त एवं वाणिज्य—कर अपर आयुक्त' भी इसमें सम्मिलित हैं।
 - (घ) 'वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य—कर पदाधिकारी'
 - (ड.) ''उपायुक्त'' से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य—कर उपायुक्त'
 - (च) 'होटल'' में भोजन गृह, आवास—गृह, दावत—हॉल, विवाह—हॉल या घर या कोई दूसरा हॉल या क्लब या सोसाइटी या भवन जिसमें ऐसे परिसर/मैदान या कोर्ट यार्ड जो खुला या अन्यथा हो और रेस्तरां (होटल में या अन्यथा) भी सम्मिलित हैं जहाँ किसी व्यक्ति को किराये पर कोई कमरा दिया जाता है।

- (छ) 'संयुक्त आयुक्त' से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'
- (ज) ''विलास–वस्तु'' से अभिप्रेत हैं ऐसी सुख–सुविधायें जो किसी होटल के ऐसे कमरों या कमरों के सेट के अधिभोगियों / किरायेदारों को दी जाती है, जिनका किराया प्रतिदिन या या उसके अंश के लिए दो सौ रूपये या उससे अधिक हो।
- (झ) "मास" से अभिप्रेत है कैलेन्डर मास या इसका कोई भाग।
- (ञ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,
- (ट) होटल के सम्बन्ध में ब्स्वत्वधारी में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो स्वत्वधारी है या उस समय संलग्नता या अन्यथा आधार पर उसके प्रबन्ध का प्रभारी हो,
- (ठ) ''तिमाही'' से अभिप्रेत है 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही,
- (ड) ''किराया'' से अभिप्रेत है किसी होटल में किसी कमरे के अधिभोगी/किरायेदार से वसूले गये सभी प्रभारों का जोड़ चाहे वह जिस किसी भी नाम से ज्ञात हो और इसमें स्वत्वधारी द्वारा ली गई कोई रकम जिसमें आवास, भोजन या सेवा प्रभार या अन्यथा सम्मिलित हैं,
- (ढ) 'व्यक्ति' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :--
 - (i) कोई व्यक्ति
 - (ii) संयुक्त परिवार
 - (iii) कंपनी
 - (iv) फर्म
 - (v) व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो

अथवा नहीं।

- (vi) केन्द्र सरकार या झारखंड सरकार या भारत का कोई अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र.
- (vii) स्थानीय प्राधिकरण या किसी विधि के अन्तर्गत स्थापित कोई प्राधिकार।
- स्पष्टीकरण (i) —जहाँ कमरे के किराये की दर सिर्फ कमरे के अधिभोग के लिए प्रभारित नहीं है और जिसमें भोजन तथा सेवा प्रभार शामिल है तो प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए वसूली गई वास्तविक रकम (भोजन या

पेय के लिए चुकाई गई रकम को छोड़कर) और सेवा प्रमार तथा किसी मनोरंजन आदि के लिये दी गई किराया की रकम को जोड़ विस्तान जीयेगा और इस जोड़ को ही कूल किराया माना जायेगा।

स्पष्टीकरण (ii) —जहाँ प्रभार दैनिक आधार से भिन्न अन्यथा उद्ग्रहीत किया जाये तो प्रभार कमरे के अधिमोग की उस अवधि के आधार पर जिसके प्रभार लिया जाए दैनिक प्रभार के रूप में संगणित कर लिया जाएगा।

- (ण) 'कमरे' में कमरों का सूट, दावत—हॉल, विवाह—हॉल या घर था कोई दूसरा हॉल या भवन जिसमें ऐसे परिसर चाहे वो खुला था अन्यथा हो भी सम्मिलित है जो साधारणतः एक यूनिट के रूप में किराये पर दिया जाता है,
- (त) 'कर' से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के अधीन उद्ग्रहीत कर
- (थ) 'न्यायाधिकरण' से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 3 के अधीन गठित न्यायाधिकरण, और
- (द) 'वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष।
- 3. कर का उद्ग्रहण (1) विलासिता कर का भुगतान होटल के स्वत्वधारी द्वारा विलास वस्तु से सम्पन्न होटल के कमरे अथवा होटल के सूट के किराये पर राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचना के अनुसार विनिर्विष्ट कर दर के आधार पर उद्ग्रहित एवं भुगतान किया जाएगा।
 - (2) इस धारा की उपधारा (1) में विहित अन्य बातों के रहते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर में संशोधन, परिवर्तन, वृद्धि एवं कमी कर सकेगी। व्याख्या — इस अध्यादेश के उद्देश्य हेतु दिन का अभिप्रेत है अर्द्धरात्रि से

प्रारम्भ कलेण्डर दिन ।

- 4. कर समाहितकरण इस अध्यादेश की धारा 3 में विहित अन्य वातों के रहते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित शर्तो तथा निर्वंधनों के अधीन किसी होटल या होटलों की श्रेणी या वर्ग के स्वत्वधारी द्वारा देय विलासिता कर के बदले कर समाहितकरण के रूप में एकमुश्त राशि के भुगतान की अनुमति प्रदान कर सकती है।
- 5. स्वत्वधारी द्वारा कर का संग्रह धारा 3 के अधीन कर देने का दायी प्रत्येक स्वत्वधारी, उस व्यक्ति रो जिसे उसने विलास वस्तुओं के साथ कमरा दिया हो उक्त धारा के अधीन देय कर की रकम किराये के साथ वसूल करेगा।
- 6. निबंधन प्रत्येक स्वत्वधारी, जो धारा 3 के अधीन कर देने का दायी हो, इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के एक माह के भीतर अथवा उस तिथि से एक मास के भीतर जिस तिथि को वह होटल में विलास-वस्तु के साथ कमरा उपबन्धित करना प्रारम्भ करें, विहित रीति से निबंधन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करेगा।

- 7. विवरणी (1) इस अध्यादेश के अधीन कर चुकाने का दायी प्रत्येक स्वत्वधारी विहित रीति से प्रत्येक तिमाही के लिए अगले माह की पच्चीसवें तिथि तक विवरणी दाखिल करेगा।
 - (2) यदि कोई स्वत्वधारी उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के उपरांत दाखिल विवरणियों में कोई त्रुटि या भूल पाता है, तो वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व बिना धारा 12 एवं 13 के पूर्वाग्रह के संशोधित विवरणी दाखिल कर सकेगा।
- 8. कर की अदायगी (1) स्वत्वधारी द्वारा धारा 3 और धारा 4 के अधीन भुगतेय कर—राशि, जिसके लिए धारा 7 के अधीन विवरणी या संशोधित विवरण दाखिल की गयी है, राज्य सरकार को प्रत्येक तिमाही के अगले मास की पन्द्रहवीं तारीख तक एवं संशोधित विवरणी के अनुसार अंतर—राशि को संबंधित वर्ष के समाप्ति तक सरकारी कोषागार में अथवा अन्य तरीके से जो विहित की जाए, जमा कर दिया जाएगा।
 (2) प्रत्येक स्वत्वधारी धारा 6 के अधीन दाखिल की जाने वाली विवरणी के साथ यथा विहित चालान, कर जमा दर्शाते हुए संलग्न करेगा।
- 9. कर का निर्धारण (1) स्वत्वधारी द्वारा देय कर का निर्धारण विहित प्राधिकारी द्वारा लेखा या रिजस्टरों और ऐसे अन्य साक्ष्यों की, जिनकी विहित प्राधिकारी अपेक्षा करे, जॉच करने के बाद विहित रीति से किया जाएगा,
 - (2) यदिं स्वत्वधारी उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित कर-निर्धारण के लिए विवरणी नहीं दें अथवा लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे तो विहित प्राधिकारी, स्वत्वधारी की सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अपने सर्वोत्तम विवेक वृद्धि के अनुसार ऐसे स्वत्वधारी द्वारा देय कर की रकम का निर्धारण कर सकेगा, और
 - (3) यदि विहित प्राधिकारी को, मिली जानकारी के आधार पर, समाधान हो जाए कि स्वत्वधारी किसी अवधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी है और फिर भी धारा 6 के अधीन उन्होंने अपने निबन्धन हेतु आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन करके भी उचित समय के भीतर निबन्धन हेतु अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और इस कारण कर के लिए निबन्धन हेतु दिया गया उसका आवेदन नामंजूर किया जा चुका है तो विहित प्राधिकारी, स्वत्वधारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार ऐसी अवधि के सम्बन्ध में कर की रकम का निर्धारण करेगा और शास्ति भी अधिरोपित करेगा जो निर्धारित कर की रकम के बराबर होगा।
- अविध का विस्तार विहित प्राधिकारी, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, धारा 7 के अधीन विवरणी दाखिल करने या धारा 8 के अधीन

कर या निर्धारित कर का भुगतान करने की तारीख नियत तारीख से 20 दिनों से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

- 11. चूक की स्थिति में दायित्व यदि कोई स्वत्वधारी या तो धारा 7 के अधीन नियत या बढ़ाई गयी तिथि के भीतर विवरणी दाखिल न करें या धारा 8 के अधीन देय कर या धारा 9 के अधीन निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति की रकम न चुकाए तो वह शास्ति के तौर पर, व्यतिकम के हरेक दिन के लिए बीस रूपये की दर से संगणित राशि या प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिये, शोध्य कर की रकम के ढाई प्रतिशत की दर से ब्याज, जो भी अधिक हो, चुकाने का भागी होगा।
- 12. कर—निर्धारण के पूर्व किराया का छूट जाना (1) यदि विहित प्राधिकारी, किसी कार्रवाई के कम में या अन्यथा संतुष्ट हों कि कोई स्वत्वधारी:—
 - (क) किसी किराया की राशि या उसके विवरण को इस अध्यादेश के अधीन उनके द्वारा भुगतेय कर-राशि को कम करने के उद्देश्य से छिपाया है अथवा
 - (ख) धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के अधीन दाखिल विवरणियों में किराया का गलत विवरण दाखिल किया है।

विहित प्राधिकारी, ऐसे स्वत्वधारी को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, लिखित आदेश में निदेश देंगे कि धारा 9 के अधीन निर्धारित किये जाने वाले कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में छुपाये गये किराये के विवरण पर शोध्य कर राशि की दोगुणी से अनिधक किन्तु शोध्य कर से कम नहीं, के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति या अधिरोपण कर निर्धारण के पूर्व, किया जा सकेगा और शास्ति की राशि के निर्धारण के लिए विहित प्राधिकारी कर राशि का निर्धारण औपबंधिक रूप से कर सकेगा।

- 13. कर-निर्धारण के पश्चात् किराया का कराधान छूट जाना (1) यदि विहित प्राधिकारी किसी सूचना की प्राप्ति अथवा अन्यथा इस बात से संतुष्ट हों, कि ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि स्वत्वधारी के किराये की कोई राशि का कराधान छूट अथवा अवनिर्धारण हो गया है अथवा किराये की राशि पर उपयुक्त कर दर से न्यूनतर दर पर कर निर्धारण हो गया है, तो विहित प्राधिकारी स्वत्वधारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरांत ऐसी छूटी हुई किराये की राशि पर पुनर्कर निर्धारण करेगा। धारा 9 के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे इस धारा के अधीन निर्गत नोटिस धारा 9 के अधीन तामिल किया गया हो।
 - (2) यदि विहित प्राधिकारी को विश्वास करने का ऐसा कारण हो कि स्वत्वधारी ने किराये की राशि को छिपाया है तो वे स्वत्वधारी को, उपधारा (1) के अधीन निर्धारित कर राशि के अतिरिक्त शास्ति के रूप में निर्धारित किये गये अथवा किये जाने वाले, छूटे हुए किराये की राशि पर कर राशि का तीन गुणा अनिधक किन्तु करसे कम नहीं के बराबर राशि के भुगतान का निदेश देगा।

इस धारा के अधीन मूल कर निर्धारण आदेश के तिथि के आठ वर्षों के समाप्ति के उपरान्त कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी।

14. कर की वसूली — (1) इस अध्यादेश के अधीन भुगतेय कर का भुगतान नीचे प्रावधानित रूप से की जायेगी — (क) जहाँ स्वत्वधारी द्वारा दाखिल विवरणियों के अनुरूप पूर्ण कर का भुगतान नहीं किया गया होय अथवा

(ख) धारा 9 अथवा 12 अथवा 13 के अधीन निर्धारित अथवा अपील, पुनरीक्षण, निर्देशन अथवा पुनर्विलोकन आदेश के अनुपालन में पारित प्रतिफल आदेश में अधिरोपित कर की राशि से स्वत्वधारी द्वारा पूर्व में भुगतान की गयी राशि, यदि कोई हो, को घटा कर शेष कर राशि। (ग) इस अध्यादेश के अधीन अधिरोपित शारित या ब्याज की राशि, यदि कोई हो।

स्वत्वधारी द्वारा सरकारी कोषागार में अथवा अन्य विहित तरीके से विहित प्राधिकारी द्वारा निर्गत सूचना में वर्णित तिथि तक जो सामान्यतया सूचना तामिला के 45 दिनों से अनिधक अविध के अन्दर भुगतान की जायेगी।

परन्तु विहित प्राधिकारी किसी स्वत्वधारी विशेष के मामले में, अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसी भुगतान की तिथि का अविध विस्तार अथवा देय कर एवं ब्याज अथवा दोनों एवं आरोपित शास्ति, यदि हो, का किस्तों में भुगतान की अनुमित दे सकेगा।

परन्तु यह भी कि यदि विहित प्राधिकारी राजस्व हित में त्वरित वसूली आवष्यक समझते हों तो अभिलिखित कारणों से स्वत्वधारी को तत्काल भुगतान करने का निदेश दे सकेगा।

(2) यदि युक्तियुक्त कारणों के बिना, कोई स्वत्वधारी उप धारा (1) के अधीन निर्गत सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि अथवा द्वितीय परन्तुक के अधीन निदेशित तत्काल कर अथवा ब्याज अथवा दोनों का भुगतान करने में विफल होते हैं, अथवा उक्त उपधाराके प्रथम परन्तुक के अधीन विस्तारित तिथि तक कर अथवा ब्याज अथवा दोनों के भुगतान में विफल रहते हैं या किस्तों के भुगतान में चुक करते हैं तो विहित प्राधिकारी स्वत्वधारी को विहित तरीके से ऐसी चूक के लिए शास्ति के रूप में कर अथवा ब्याज अथवा दोनों की राशि के 5 प्रतिशत तक भुगतेय तिथि से प्रत्येक प्रथम तीन माह के लिए तथा 10 प्रतिशत तक उत्तरावर्ती माहों अथवा उसके अंश के लिए भुगतान का निदेश देगा।

(3) इस अध्यादेश के अधीन अधिरोपित कोई कर अथवा ब्याज अथवा दोनों जो उपधारा (1) में निर्गत सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि अथवा उपधारा (2) में अधिरोपित शाास्ति राशि जो भुगतान के लिए लम्बित हो, की वसूली, किसी अन्य तरीके से वसूली के प्रावधान को अक्षुण रखते हुए, इस प्रकार वसूलनीय होगी मानों वह भू—राजस्व का बकाया हो।

15. विशेष रीति से वसूली — (1) इस अध्यादेश या किसी विधि या संविदा के किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कराधान और कर अथवा ब्याज अथवा दोनों अथवा अधिरोपित शास्ति के लिए विहित प्राधिकारी किसी

समय लिखित सूचना (जिसकी एक प्रति स्वत्वधारी को भी दी जाएगी) द्वारा निदेशित कर सकेगा -

(क) कोई व्यक्ति जो स्वत्वधारी के निमित्त कोई धन-राशि रखता हो

अथवा रखने वाला हो, अथवा

- (ख) ऐसा स्वत्वधारी जिस पर तामिल मांग-पत्र में विनिर्दिष्ट कर अथवा ब्याज अथवा दोनों अथवा उक्त सूचना के अनुसार भुगतेय शास्ति का भुगतान, विनिर्दिष्ट तिथि तक करने में चूक की गई हो अथवा भुगतान की तिथि का विस्तार, सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया हों, ऐसे स्वत्वधारी के धन-राशि रखने वाले कोई व्यक्ति जिसके पास स्वत्वधारी के धन-राशि का पावना हो अथवा भविष्य में धन के पावना बने को विहित रीति से सरकारी खजाने में तत्काल अथवा जब भी स्वत्वधारी का पावना बने, जिससे कि स्वत्वधारी से पूरी मांग की राशि का भुगतान हो जाए, भुगतान करेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन सूचना निर्गत करने वाले प्राधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना को संशोधित/समाप्त अथवा भुगतान की तिथि बढ़ा सकेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन निर्गत सूचना के अनुपालन में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान, स्वत्वधारी के प्राधिकार के अन्तर्गत माना जाएगा और सरकारी कोषागार द्वारा निर्गत रसीद को यह मान लिया जाएगा कि उक्त व्यक्ति ने रसीद में निहित राशि तक व्यवसायी के प्रति अपनी देयता का पूर्ण एवं पर्याप्त निर्वहन किया है।

(4) उपधारा (1) के अधीन जारी कि गए नोटिस की तामील हो जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति व्यवसायी के देयताओं का निर्वहन नहीं करता है तो वह कर-राशि और सूद अथवा शास्ति की राशि की सीमा, तक

राज्य सरकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (4) के अधीन किसी राशि हेतु राज्य सरकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो और यदि वह राशि अदत्त रहता है, तो वह राशि उससे भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूलनीय होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, लिखित आदेश के रूप में ऐसे व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन म के तिय रार्षि के दोगुनी अनधिक राशि शास्ति के रूप में भुगतान करने का निदेश देगा। व्यवसाय के हस्तांतरण की स्थिति में कर-भुगतान की देयता - (1) जब स्वत्वधारी के व्यवसाय का स्वामित्व पूर्ण रूप से हस्तांतरित होती है, तब अंतरितक और अंतरिती दोनों संयक्त रूप रो

पत्र के निर्गमन हेतु आवेदन देगा बशर्ते ऐसा प्रमाण पत्र उनके पास हो।

- (2) अध्यादेश के अधीन, जहां स्वत्वधारी कर भुगतान हेतु दायी हो, अपना व्यवसाय का एक हिस्सा हस्तांतरित करता हो, अंतरितक उस हद तक ही कर भुगतान करने का देय होगा, जिस अंश तक व्यवसाय हस्तांतरित किया गया है।
- 17. विघटित फर्म अथवा एशोसियेशन की धारा 3 और 4 के अधीन कर—भुगतान की देयता — जहाँ धारा 3 और 4 के अधीन कर भुगतान के दायी स्वत्वधारी फर्म या एशोसियेशन विघटित अथवा टूटती है, जैसी स्थिति होय

(क) इस अध्यादेश के अधीन उक्त फर्म या संघ के उक्त विघटन की तिथि अथवा अवधि तक देय कर राशि या ब्याज अथवा दोनों का निर्धारण किया जा सकता हैय मानो कोई विघटन या टूटन नहीं हुआ है और अध्यादेश के सारे प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।

(ख) ऐसे विघटन या टूटन के समय, उक्त फर्म या संघ के सदस्य या हिस्सेदार, उक्त विघटन या टूटन के होने के बावजूद पृथक रूप से तथा संयुक्त रूप से कर भुगतान, ब्याज तथा शास्ति राशि सहित यदि कोई हो, के लिए दायी होने, इस अध्यादेश के अधीन ऐसे फर्म या व्यक्तियों के एशोसियेशन, चाहे विघटन या टूटन के पूर्व कर—निर्धारण हुआ है या नहीं।

- 18. लेखा—पुस्तों का संधारण प्रत्येक स्वत्वधारी, जो इस अध्यादेश की धारा 3 और 4 के अधीन कर देने का दायी है प्राप्त किराया, वसूले गए अन्य भुगतान (charge), ग्राहक पंजी या निर्गत कैशमेमो एवं ग्राहक को निर्गत यथा विहित रसीद की सच्ची और पूर्ण लेखा संधारित करेगा।
- 19. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण —कर—निर्धारण प्राधिकारी या इस प्रयोजनार्थ विहित कोई अन्य प्राधिकारी, अपना यह समाधान होने की दृष्टि से कि इस अध्यादेश या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है:
 - (क) किसी समय किसी होटल में प्रवेश कर सकेगा
 - (ख) किसी होटल के स्वत्वधारी से कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज अपने समक्ष पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा।
 - (ग) किसी कमरे का अधिभोग अभिनिश्चित करने के लिए उसका निरीक्षण कर सकेगा, और
 - (घ) विस्तृत जांच के लिए किसी बही, लेखा और दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा,

परन्तु यह कि अभिगृहीत बहियों, लेखा और दस्तावेजों के सम्बन्ध में

स्वत्वधारी को रसीद दे दी जाएगी।

20 विमुक्ति —राज्य सरकार कितपय शत्तों के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अध्यादेश के अधीन होटल के कमरे अथवा होटल के सूट पर देय किराये के भुगतान से विमुक्ति प्रदान कर सकेगी।

21. अपील — धारा 9, 11 एवं 12 के अधीन कर निर्धारण के आदेश या पुनर्कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण से कोई व्यथित स्वत्वधारी, आदेश की या मांग की सूचना तामील होने की तिथि से साठ दिनों के मीतर संयुक्त आयुक्त (अपील) या इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के पास, विहित रीति से, अपील कर सकेगा और संयुक्त आयुक्त (अपील) या इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी अपीलकर्त्ता को सुनने के बाद निर्धारण या शास्ति के उक्त आदेश को संपुष्ट, वातिल या उपान्तरित कर सकेगा।

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकेगा, यदि आवेदक उसका समाधान करे कि समय पर अपील दायर करने में उसे पर्याप्त कारण से बाधा पड़ी है।

22. पुनरीक्षण — यथाविहित नियमों के अध्यधीन, धारा 21 के अधीन अपील पर किया गया आदेश, आवेदन करने पर अधिकरण द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगाय

परन्तु यह कि ऐसा आवेदन तभी ग्रहण किया जाएगा जबकि वह पुनरीक्षित किये जाने के लिए अपेक्षित आदेश की संसूचना की तारीख के 90 दिनों के भीतर दिया जाएगारू

परन्तु यह और कि जहां अधिकरण का यह समाधान हो जाए कि अपीलकर्त्ता पर्याप्त कारणों से समय पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन नहीं कर पाया है वहां वह विलम्ब माफ कर सकेगा।

- 23. अभिलेख मांग करने की शक्ति आयुक्त, स्वप्रेरणा से इस अध्यादेश के अधीन किसी प्राधिकारी, धारा 22 में सन्निहित के अलावे, द्वारा पारित अपेस्य की कैंपिया का अगिवेख में अपने समाधान के प्रयोजनार्थ उस आदेश की कार्यवाही का अभिलेख मंगाकर उसकी परीक्षा कर सकेंगा और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने या कराने के बाद किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेंगा।
- 24. पुनर्विलोकन यथा विहित नियम की शर्त्त के अनुसार, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी या न्यायाधिकरण इस

अध्यादेश के अधीन, उनके द्वारा पारित आदेश को पुनर्विलोकित कर सकेगा। परन्तु यह कि स्वत्वधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा, यदि इसका परिणाम कर वृद्धि या अर्थदंड या दोनों हो।

- 25. वापसी किसी स्वत्वधारी द्वारा धारा 9 के अधीन कर—निर्धारण के कारण अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में पारित आदेश के आधार पर अन्तिम रूप से अवधारित रकम से अधिक रकम अदा की गयी हो, तो वह रकम विहित रीति से उसे लौटा दी जाएंगी।
- 26. अपराध और शास्ति (1) यदि कोई स्वत्वधारी, जिसमें इस धारा के प्रयोजनार्थ कर्मचारी, प्रबंधक या ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होगा, जो अपराध होने के समय, होटल के प्रबन्ध का प्रभारी या उत्तरदायी रहा हो
 - (क) इस अध्यादेश और उसके अन्तर्गत निमित्त नियमावली में यथा उपबन्धित लेखा और रजिस्टर न रखे या रखने में उपेक्षा करे, बिल या कैशमेमों नहीं दे या देने में उपेक्षा करे, या
 - (ख) निरीक्षण के दौरान कोई जानकारी न दे या देने में उपेक्षा करे अथवा बही, लेखा रिजस्टर और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करे या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करे, या
 - (ग) धारा 7 और 8 के अधीन यथापेक्षित विवरणी प्रस्तुत नहीं करे या कर और शास्ति का भुगतान नहीं करे, या
 - (ध) इस अध्यादेश के अधीन कर्त्तव्य अनुपालन में किसी प्राधिकारी को बाधा पहुँचायी तो वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अविध छः माह तक एक हो सकेगी, या जुर्माना जो पाँच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।
 - (2)(क) आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी न्यायालय इस अध्यादेश या उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञापन नहीं लेगा. और
 - (ख) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी से अन्यून कोटि का कोई भी न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
 - (3) दंड-प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

- 27. अपराधों का प्रशमन (1) विहित प्राधिकारी धारा 25 के अधीन गठित कार्यवाही के पूर्व या उपरांत, उक्त धारा के अधीन या इस अध्यादेश के अन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन अपराध के प्रशमन के रूप में दो हजार से अधिक राशि स्वत्वधारी से स्वीकार कर सकेगा।
 (2) विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्धारित उक्त राशि के भुगतान के उपरांत उसी अपराध हेतु कोई अग्रेतर कार्रवाई स्वत्वधारी के विरूद्ध नहीं की जा सकेगी।
- 28. कितपय कार्यवाहियों का वर्जन इस अध्यादेश या इसके अध्यधीन बने नियम के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिए, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।
- 29. नियम बनाने की शक्ति (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ इस अध्यादेश के उपबन्धों से संगत नियमावली बना सकेगी।
 - (2) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के रहेक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो लगातार सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि जिस सत्र में रखा गया हो अथवा उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पहले, दोनों सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो, अथवा दोनों सदन सहमत हो कि नियम बनाया नहीं जाए तो उसके बाद यथास्थिति नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही लागू होगा अथवा लागू ही नहीं होगा, किन्तु ऐसे किसी उपान्तरण या वातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी कार्य की विधि—मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 30. निरसन और व्याबृति (1) बिहार होटल विलास—वस्तु कराधान अधिनियम 1988 (बिहार अधिनियम 5, 1988) एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम तथा निर्गत अधिसूचनाएँ जैसा कि झारखण्ड राज्य में अंगीकृत किया गया है, को एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से निरसित किया जाता है।
 - (2) निरसन से -
 - क) निरसन के प्रभावी होने के समय कोई बात जो प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, वह पुनः प्रवर्तित नहीं होगी, या
 - ख) निरसित अधिनियमों के अंतर्गत अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, स्वामित्व, बाध्यता या दायित्व जो निर्धारी तिथि के तत्काल पूर्व की अवधि में किसी कार्य के फलस्वरूप घटित हुआ हो, प्रभावित नहीं होगा, या

ग) निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में उपगत या अधिरोपित कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड प्रभावित नहीं होगा, या

घ) निरिसत अधिनियमों के अंतर्गत संस्थित, जारी किया गया या प्रवर्तित कोई अन्वेषण, जांच, निर्धारण, कार्यवाही, कोई अन्य विधिक कार्यवाही या उपचार प्रभावित नहीं होगा और उपरोक्तानुसार किसी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अथवा निरिसत अधिनियमों के अंतर्गत संस्थित, जारी की गई या प्रवर्तित किसी कार्यवाही या उपचार को इस अधिनियम के तत्समय उपबंधों के अधीन संस्थित, जारी किया गया या प्रवर्तित माना जाएगा।

(3) निरिसत अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए, सभी नियम, आदेश, की गई नियुक्तियाँ एवं प्रकाशित अधिसूचनाएँ, प्रदत्त प्रमाण—पत्र प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को (निरिसत अधिनियम के अधीन निबंधित व्यवसायी द्वारा राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अथवा वैसे औद्योगिक इकाइयों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण या विशाखन पर लिए जा रहे औद्योगिक रियायत के अधिकारों को छोड़कर) इस अधिनियम के अन्तर्गत कमिक रूप से निर्मित, प्रकाशित, प्रदत्त अथवा किए हुए माने जाएंगें जब तक कि उक्त नियम और अधिसूचनाएँ इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हो अथवा परिवर्तित, अधिकिमत अथवा रद नहीं किये गये हों।

(4) किसी नियम, अधिसूचना, विनियम या परिपत्र में निरसित अधिनियमों की किसी धारा के बारे में कोई निर्देश इस अधिनियम की संगत धारा के लिए निर्देशित करना माना जाएगा, जहाँ तक इस अधिनियम के असंगत न हों, जब तक कि उक्त नियम, अधिसूचना, विनियम या परिपत्र में आवश्यक संशोधन नहीं किये जाते।

(5) इस अधिनियम में उपबंधित परिसीमा उत्तरवर्ती रूप से लागू होगी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले घटित होने वाली सभी घटनाएं और उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दे निरसित अधिनियमों में उपबंधित परिसीमा या

अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

31. कठिनाइयों का निराकरण -

यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई सामने आती है, तो राज्य सरकार अवसर के आवश्यकतानुसार आदेश देकर उस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है बशर्तों वे इस अध्यादेश अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हों।

अनुसूची। [धारा 3(1) देखें]

क्मांक	विवरण	कर दर
(1)	(2)	(3)
1.	कमरें का किराया प्रतिदिन रू० 200 से अधिक एवं रू० 800 से कम होने पर।	8%
2.	कमरे का किराया प्रतिदिन रू० 800 से अधिक होने पर।	12.5%
3.	रेस्टोरेंट, भोजन गृह या दावत हॉल या विवाह हॉल या घर या दूसरा हॉल या भवन जिसमें ऐसे परिसर/मैदान या कोट यार्ड जो खुला या अन्यथा हो का किराया प्रतिदिन रू० 3000 से अधिक नहीं होने पर।	8%
4.	रेस्टोरेंट, भोजन गृह या दावत हॉल या विवाह हॉल या घर या दूसरा हॉल या भवन जिसमें ऐसे परिसर/मैदान या कोट यार्ड जो खुला या अन्यथा हो का किराया प्रतिदिन रू० 3000 से अधिक होने पर।	12.5%

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव—सह—विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड ।

अधिसूचना 20 जून, 2011

संख्या एल०जी०-01/2011-75/लेज०-झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 जून, 2011 को अनुमत झारखण्ड होटल विलास-वस्तु कराधान अध्यादेश, 2011 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

[Jharkhand Ordinance 04, 2011]

Jharkhand Taxation on Luxuries in Hotels Ordinance 2011

An Ordinance to promulgate the Taxation on Luxuries in Hotel with regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand. Preamble -

Whereas the legislative Assembly of the State of Jharkhand is not in session and, whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to generate revenue to meet the developmental expenditures and therefore promulgate Jharkhand Taxation on Luxuries in Hotels Ordinance, 2011.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, Governor of Jharkhand is pleased to promulgate

the following Ordinance:

Short title, extent and commencement. - (1) This Ordinance may be 1. called the Jharkhand Taxation on Luxuries in Hotel Ordinance, 2011. (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions. - In this Ordinance unless there is anything repugnant to the subject or context. -

(a) 'Assistant Commissioner' means an Assistant Commissioner of Commercial Taxes appointed under sub-section (2) of section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006).

(b) 'Authority' means an Authority referred in the rules made under this Ordinance:

(c) 'Commissioner' means the Commissioner of Commercial Taxes appointed under sub-section (2) of section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) and includes Additional Commissioner of Commercial Taxes.

(d) 'Commercial Taxes Officer' means a Commercial Taxes Officer appointed under sub-section (2) of section 4 of the Jharkhand Value

Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006);

(e) 'Deputy Commissioner' means a De puty Commissioner of Commercial Taxes appointed under sub-section (2) of section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006),

(f) 'Hotel' includes a boarding house, a lodging house, a banquet hall, a marriage hall or a house or any other hall or club or societies or building including any such premises / field / courtyard attached or annexed to, whether open or otherwise and a restaurant, where any room(s) or such place is provided therein, to any person on rent or otherwise;

(g) 'Joint Commissioner' means a Joint Commissioner of Commercial Taxes appointed under sub-section (2) of section 4 of the Jharkhand

Value Added Tax Act, 2005(Jharkhand Act 05, 2006);

(h) 'Luxuries' mean such amenities as are provided in a Hotel to the occupants or hirer of such rooms or suite of rooms or otherwise therein as to carry a rent of rupees two hundred or more per day or part thereof,

- (i) 'Month' means a calendar month or part thereof;
- (i) "Person" includes:-
 - (i) an Individual;
- (ii) a Joint Family;
- (iii) a Company;
- (iv) a Firm:
- (v) an association of persons or a body of individuals; whether incorporated or not;
- the Central Government or the Government of Jharkhand or the Government of any other State or Union Territory in
- (vii) a local Authority or any Authority established under any law;
- (k) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Ordinance;
- (1) 'Proprietor' in relation to a hotel includes a person who is the owner or for the time being is incharge of its management; whether by any agreement or otherwise.
- (m) 'Quarter' means the quarter ending on the 30th June, 30th September,
- 31st December and 31st March;
- (n) 'Rent' means the aggregate of elliobnarges, by whatever name called, realized from the occupier / hirer of a room in a hotel and includes lodging, boarding or service charges or any other sum charged by the proprietor or all or any of them;

Explanation 1- Where the rate of rent of a room is not charged for occupation alone, and boarding and service charged are included therein then the actual sum realized for each day, or part thereof (excluding any sum paid for food or drinks) and charges for service and any entertainment and like shall be aggregated and the total shall be deemed to be the rent.

Explanation 2 - Where charges are levied otherwise than on daily basis, then the charges shall be computed as for a day based on the period of occupation of the room for which charges are made.

- (o) 'Room' includes a suite of rooms, a banquet hall, a marriage hall or house or any other hall or building including any such premises whether open or otherwise which is ordinarily hired out as one unit or otherwise;
 - (p) 'Tax' means the tax levied under this Ordinance;
 - (q) 'Tribunal' means the Tribunal constituted under section 3 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006);
 - (r) 'Year' means a financial year.
- Levy of Tax. (1) There shall be levied and paid to the State 3. Government a tax on Hotels by the proprietor (s) on the rent, exceeding Rs. 200 per day or part thereof, for a room or suite of rooms provided with luxuries in a hotel at the rate(s), as specified in the schedule appended to this Act.
 - (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government by a notification may amend, alter, add, increase or decrease any rate(s) as specified in the schedule.

Explanation - 'Day' for the purpose of this Ordinance shall mean a calendar day, beginning at midnight and part thereof.

Compounding of Tax - Notwithstanding anything contained in Section 3 of this Ordinance, the State Government may, subject to such conditions and restrictions as it may specify, by a notification, permit the proprietor of a hotel or class or description of hotels to pay in lieu of tax

- payable under Section 3, a lump sum amount by way of compounding of tax.
- Collection of tax by the proprietor. Every proprietor liable to pay tax
 under Section 3 shall collect along with rent, the amount of tax payable
 under the said section, from the person to whom a room along with
 luxuries is provided by him.
- 6. Registration. Every proprietor, who is liable to pay tax under section 3 shall apply for a certificate of registration in the prescribed manner within a month of coming into effect of this Ordinance or within one month from the date he starts providing room along with luxuries in the hotel,
- Returns. (1) Every proprietor liable to pay tax under this Ordinance, shall submit a return for every quarter by the twenty fifth day of the month following the quarter in the manner prescribed.
 (2) If any proprietor having furnished, returns, under sub-section (1) discovers any omission or error in the returns so filed, he may furnish a revised return without prejudice to Section 12 and 13 before the expiry of the year.
- 8. Payment of Tax. (1) The amount of tax payable under Section 3 and Section 4 for which return or revised return has been furnished under section 7 shall be paid by the proprietor to the State Government by the 15th day of the month following for every month and differential amount as per revised return furnished by the end of the related year into the Government Treasury in such manner as may be prescribed.
- Assessment of Tax (1) Assessment of the tax payable by a proprietor shall be made after examining the accounts or registers and other evidences as the prescribed authority may require.
 - (2) In case a proprietor does not furnish any return or fails to produce accounts for assessment as required under sub-section (1), the prescribed authority may, after giving the proprietor a reasonable opportunity of being heard, assess the amount of tax payable by such proprietor, to the best of his judgment.
 - (3) If the prescribed authority, upon information which has come into his possession, is satisfied that the proprietor has been liable to pay tax under this Ordinance in respect of any period, and has nevertheless failed to apply for registration under section 6 or having so applied failed to comply with any requirement for registration within a reasonable time and for which his application for registration has been rejected such prescribed authority shall, after giving the proprietor an opportunity of being heard, assess the amount of tax to the best of his judgment in respect of such period and shall also impose a penalty which shall be equal to the amount of tax so assessed.
- 10. Extension of period The prescribed authority may for the reasons to be recorded in writing extend the date for either filing the return under Section 7 or payment of tax under section 8 or for payment of the assessed tax for a period not exceeding twenty days from the due date.

- 11. Liability in case of default. In the circumstance if any proprietor either fails to file return under section 7 or to pay the tax under section 8 or pay the amount of tax assessed or penalty imposed under section 9 within the due or extended date he shall be liable to pay, by way of penalty a sum calculated at the rate not exceeding Rs. twenty for every day of default or an interest at the rate of two and half percentum of the amount of tax due for every month or part thereof whichever is higher.
- 12. Escaped amount of rent detected before assessment:- (1) If the prescribed authority, in course of any proceeding or otherwise is satisfied that any proprietor:-

(a) has concealed any amount of rent or particulars thereof with a view to reduce amount of tax payable by him under this Ordinance; or

(b) has furnished incorrect statement of rent in the return furnished under sub-section (1) and (2) of section 7;

the prescribed authority shall, after giving such proprietor an opportunity of being heard, by an order in writing, direct that he shall in addition to any tax which is or may be assessed under section 9, pay by way of penalty, a sum not exceeding two times but not less than equal to amount of tax on concealed particulars of rent.

- (2). The penalty under sub-section (1) may be imposed before completion of assessment and for determining the amount of penalty the prescribed authority may determine the amount of tax provisionally.
- 13. Amount of Rent escaping assessment: (1) If upon information or otherwise the prescribed authority is satisfied that reasonable grounds exist to believe that any amount of rent of a proprietor escaped assessment or amount of rent has been under assessed or assessed at a lower rate than that which was correctly applicable, the prescribed authority, after giving the proprietor a reasonable opportunity of being heard, re-assess the proprietor for such escaped amount of rent. The provisions of section 9 shall, so far as may be, apply accordingly as if the notice under this section is served under section 9.

(2) The prescribed authority, if he has reason to believe that proprietor has concealed the amount of rent shall direct the proprietor to pay in addition to any tax which is or may be assessed under sub-section (1), by way of penalty sum not exceeding three times but not less than an amount equivalent to amount of tax which is or may be assessed on the escaped amount of rent.

No proceeding under this section shall be initiated except before the expiry of eight years from the date of order of the original assessment.

- 14. Recovery of tax :- (1) The tax payable under this Ordinance shall be paid in the manner herein provided -
 - (a) the tax due according to the cuturns filed by a proprietor where full payment of such tax has not been made; or

- (b) tax assessed or reassessed under section 9 or 12 or 13 in pursuance of or as a result of an order on appeal, revision, reference or review, less the sum, if any, already paid by the proprietor; or
 - (c) penalty and interest, if any, imposed under any of the provision of this Ordinance, shall be paid by the proprietor into a Government Treasury, or in such other manner, as may be prescribed by such date as may be specified in a notice issued by the prescribed authority for this purpose and the date to be so specified shall, ordinarily, not be less than forty five days from the date of service of such notice.

Provided that the prescribed authority, in respect of any particular proprietor and for reasons to be recorded in writing, extend the date of such payment, or allow such proprietor to pay the tax or interest or both due and penalty imposed, if any, by instalments.

Provided further, that where the prescribed authority considers it expedient in the interest of State revenue it may, for the reasons to be recorded in writing, require any proprietor to make payment forthwith

- (2) If a proprietor has failed, without reasonable cause, to make payment of any tax or interest or both by the date specified in the notice issued under sub-section (1) or forthwith as required by the second proviso thereto, or in the like manner has failed to make payment of tax or interest or both by the date extended under the first proviso of the said sub-section or has defaulted in payment of instalment the prescribed authority may direct that the proprietor, shall pay, in the prescribed manner by way of penalty for such failure, an amount which may extend to five percentum of the amount of tax or interest or both, for each of the first three months following the expiry of such date and to ten percentum for each subsequent month or part thereof.
- (3) Any tax or interest or both or penalty imposed under the Ordinance, which remains unpaid after the date specified in the notice issued under sub-section (1) or penalty imposed under sub-section (2) and remaining unpaid shall without prejudice to any other mode of recovery be recoverable as if it were an arrear of land revenue.
- 15. Special mode of recovery:- (1) Notwithstanding any thing contained in the Ordinance or any law or contract to the contrary, the authority prescribed for assessment and recovery of tax or interest or both and penalty imposed may, at any time by notice in writing (a copy of which shall also be given to the proprietor) direct
 - (a) any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of the proprietor, or
 - (b) any person from whom any money is due or may become due to the proprietor who has failed to pay upto the date fixed in the notice of demand the amount of tax or interest or both or penalty payable according to the said notice of demand served upon such proprietor or in respect of which the date of payment has not been extended by any competent authority, to pay into the Government treasury, in the same manner as have been prescribed for payment of tax or interest or both either forthwith or upon the money becoming due so much of the money as is sufficient to pay the amount due form the proprietor.
 - (2) The authority issuing a notice under sub-section (1) may, at any time, amend or revoke any such notice or extend the time for making payment in pursuance of the notice.

(3) Any person making any payment in compliance with a notice issued under_subsection (1) shall be deemed to have under the payment under the authority of the proprietor and the receipt from the Government treasury shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of that person to the proprietor to the extent of amount specified in the receipt.

Any person if not discharging the liability after service of notice under sub-section (1) on him, shall be personally liable to the State Government for the amount of tax

and interest or penalty.

If amount for which any person becomes liable personally to the State Government under sub-section (4), remains unpaid, it shall be recoverable as an arrear of land

- If any person contravenes any of the provisions of sub-section (4) of this section the prescribed authority shall after giving an opportunity of being heard by an order in writing direct that such person shall pay by way of penalty a sum not exceeding twice the amount payable under sub-section (1).
- Liability to pay tax in case of transfer of business :- (1)When the 16. ownership of the business of a proprietor, is entirely transferred, both the transferor and the transferee shall jointly and severally be liable to pay any tax, interest and penalty, if any, payable in respect of such business and remaining unpaid at the time of the transfer and the transferee shall also be liable to pay tax on and from the date of such transfer and shall forthwith apply for grant of registration certificate unless such certificate is already possessed by him.
 - (2) where a proprietor liable to pay tax under the Ordinance, transfers the ownership of a part of his business, the transferor shall be liable to pay tax in respect of that part of transferred business only.
- Liability of dissolved firm or association of persons liable to pay tax under section 3 and 4:- Where the proprietor liable to pay tax under section 3 or 4 is a firm or association of persons is dissolved or disrupted, as the case may be.

(a) The tax or interest or both and penalty payable under this Ordinance by such firm or association of persons for the period upto the date of such dissolution or disruption may be assessed, as if no dissolution or disruption had taken place and

all the provisions of this Ordinance shall apply accordingly, and

- (b) Every person who was at the time of such dissolution or disruption a member or partner of firm or association of persons shall notwithstanding such dissolution or disruption, be liable severally and jointly for the payment of the tax including interest and penalty, if any, payable under this Ordinance by such firm or association of persons, whether assessment is made prior to or after such dissolution or disruption.
- Maintenance of books of Accounts Every proprietor liable to pay tax under section 3 and 4 of this Ordinance shall keep a true and complete account in respect of rent received, other charges collected, registers of customers bill or cash memo issued and receipt granted to customer as prescribed.

- Inspection, search and seizure. The assessing authority or any other 19. authority prescribed for this purpose may, with a view to satisfying itself that the provisions of this Ordinance or Rules made thereunder are being complied with:-
 - (a) enter any hotel at any time;
 - (b)require any proprietor of a hotel to produce before him any books of accounts or other documents and inspect them:
 - (c) inspect any room to ascertain their occupancy; and
 - (d) seize any books, accounts and documents for detailed examination and such seized accounts, documents and other evidences shall be retained for so long as may be reasonably necessary for examination thereof.

Provided that a receipt shall be given to the proprietor in respect of the books of account and documents seized.

- Exemption Subject of such conditions and restrictions, the State 20. Government may specify, by notification, exempt any person or class of persons from payment of tax payable under section 3 or section 4 of this Ordinance:
- Appeal (1)Any proprietor aggrieved by an order of assessment or 21. reassessment and penalty under section 9, 11 and 12 may, within sixty days from the date of order or service of the notice of demand, appeal to the Joint Commissioner (Appeal) or any other authority specially authorized in this behalf in the manner prescribed.

Provided that the appellate authority may condone the delay in preferring appeal if the appellant satisfies that he was prevented by any

sufficient cause from preferring the appeal within time.;

Provided further that no appeal shall be entertained by such authority unless it is satisfied that twenty percentum of the tax assessed or such amount of tax as the appellant may admit to be due from him, which ever is greater, has been paid.

(2) Subject to such rule as may be prescribed the authority mentioned in sub- section (1) may, in disposing of an appeal -

(a) confirm, reduce, enhance or annul the order of assessment, interest or penalty or all; or

- (b)set aside the order of assessment interest or penalty, or all, and direct the assessing authority to make a fresh assessment after making such further inquiry as may be directed by the appellate authority
- Revision Subject to such rules as may prescribed an order passed on 22. appeal under section 21 may, on application, be revised by the Tribunal: Provided that such an application shall be entertained only if made within 90 days from the date of communication of the order sought to be revised:

Provided further that where the Tribunal is satisfied that the appellant had sufficient reason for not filing the application for revision in time, it may condone the delay.

Power to call for records. - The Commissioner may on his own motion, 23. call for and examine the records of any proceeding where an order has been passed by any authority under this Ordinance, other than that mentioned in section 22, for the purposes of satisfying himself as to the legality or propriety of such order and may after making or causing to be made such inquiry as he may deem necessary revise any order passed by any such authority

24. Review - Subject to such rules as may prescribed, any authority appointed order sub-section (2) of Section 4 of Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Act 05, 2006) or the Tribunal may review any order passed by it.

Provided that no such review if it has effect of enhancing the tax or penalty or both, shall be made without giving the proprietor a reasonable opportunity of being heard

- 25. Refund Any amount paid by the proprietor in excess of amount finally determined either on assessment under section 9 or on an order in appeal, revision or review shall be refunded to him in the manner prescribed.
- 26. Offences and Penalties. (1) If a proprietor, which shall for the purpose of this section, include an employee, the manager or every person who was incharge or responsible for the management of the hotel at the time of commission of the offence -
 - (a) fails or neglects to maintain accounts and registers, issues bill or cash memos as provided in this Ordinance and rules framed thereunder; or
 - (b) fails or neglects to furnish any information or produce books of account, registers and documents in course of inspection; or
 - (c) fails to submit returns or pay tax and penalty required under sections 7 and 8; or
 - (d) obstructs any authority in the performance of duty under this Ordinance shall be punished with imprisonment of either description for a tern which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.
 - (2) (a) No court shall take cognizance of any offence under this Ordinance or the rule made thereunder except with the previous sanction of the Commissioner; and
 - (b) No court inferior to that of Judicial Magistrate of the 1st Class shall try any offence under this Ordinance;
 - (3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act II of 1974), all offences punishable under sub-section (1)shall be cognizable and bailable.
- 27. Compounding of offences:- (1) The prescribed authority may either before or after the institution of proceedings under section 25, accept from a proprietor charged with an offence under the said section or under any rules made under this Ordinance, by way of composition of the offence, a sum not exceeding two thousand rupees.
- (2) On payment of such sum as may be determined by the prescribed authority under sub-section (1), no further proceeding shall be taken against the proprietor in respect of the same offence.
- 28. Bar to certain proceedings. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any authority or officer of the State Government for anything done which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Ordinance and Rules made thereunder.

- 29. Power to make rules (1) The State Government by notification in the official Gazette, make rules consistent with the provisions of this Ordinance for the purpose of carrying out the provisions of this Ordinance.
 - (2) Every rule made under this Ordinance shall be laid as soon as may be after it is made, before each house of the state Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following both the Houses agree in making any modification in the rule or both the Houses agree that the rules should not be made, the rules shall thereafter have effect only in such modified form or be or no effect as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
- 30. Repeal and savings:- (1) The Bihar Taxation on Luxuries and Hotel Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), Rules made thereunder and Notifications issued thereunder as adopted in the State of Jharkhand are hereby repealed from the date of commencement of this Ordinance.

(2) The repeal shall not;

- (a) revive anything not in force or existing at the time of which the repeal takes effect; or
- (b) affect any right, title, obligation, or liability already acquired, accrued or incurred for any thing done or suffered in the respect of the period immediately preceding this repeal; or
- (c) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed under the provisions of the repealed Act; or
- (d) affect any investigation, inquiry, assessment, proceeding, any other legal proceeding or remedy instituted, continued or enforced under the repealed Act and any such penalty, forfeiture or punishment as aforesaid or any proceeding or remedy instituted, continued, or enforced. under. the respealed act shall be deemed to be instituted, continued or enforced under the corresponding provisions of this Ordinance.
- (3) All rules, orders and appointments made and notifications published, certificates granted, powers conferred and other things done under the repealed Act and in force on the commencement of this Ordinance, so far they are not inconsistent with or until they are not modified, superceded or cancelled under this Ordinance be deemed to have been respectively made, published, granted, conferred or done under this Ordinance.
- (4) Any reference to any Section of the repealed Act in any rule, notification, regulation or circular shall be deemed to refer to the relevant corresponding Section of this Ordinance, so far as these are not in consistent with this Ordinance until necessary amendments are made in such rule, notification, regulation or circular.
- (5) The limitations provided in this Ordinance shall apply prospectively, and all events occurred and all issues arose prior to the date of